रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 1994/अषाढ़ 9, 1916
No. 333] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 1994/ASADHA 9, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1994

(रबड़ नियंत्रण)

का०आ० 488 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं०का० आ० 638 (अ) तारीख 24 अगस्त, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 जुलाई, 1994 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे भारत में उत्पादित सभी रबड़ पर एक रुपया प्रति किलोग्राम रबड़ की दर से उत्पाद शुल्क उपकर के रूप में उद्गृहीत किया जाएगा।

[फा. सं. 14/4/85—प्लांट (बी)]
ऐ०के० गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 1994

(RUBBER CONTROL)

S.O. 488 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 638(E) dated the 24th August, 1984 except as respects things done or ommited to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 1994 as the date from which the duty of excise at the rate of One rupee per Kilogram of rubber shall be levied as cess on all rubber produced in India.

[No. 14/(4)/85-Plant (B)]

A.K. GOSWAMI, Jt.Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994